

ग्राम पंचायत शलौटा, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

- (क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत शलौटा, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान		
क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति मीना शर्मा	04/2013 से 22.01.2016
2	कु. रोशनी	23.01.2016 से लगातार
सचिव		
क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री ज्ञान चंद	04/2013 से 14.06.2016 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत शलौटा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	मध्य हिमालय जलागम परियोजना की अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान वित्तीय लेनदेन का लेखांकन रोकड़ बही में न किया जाना	विवरण पैरों में दिया गया है
2	7(क)	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीदें इत्यादि जारी न करना	8.05
3	10	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.97
4	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानों की राशि का उपयोग न किया जाना	9.82
5	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किए जाने बारे	1.60
6	14	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं किए जाने बारे	2.71

7	15	भुगतान के सम्बन्ध में वाऊचर इत्यादि आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न किए जाने बारे	5.81
---	----	--	------

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत शलौटा, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.2016 से 26.07.2016 के दौरान कुमारसैन में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	4/2013	1/2014
2014-15	9/2014	6/2014
2015-16	3/2016	5/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत शलौटा, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 81/2016 दिनांक 26.07.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शलौटा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत शलौटा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्तोट (Own Sources):- ग्राम पंचायत शलौटा की अवधि 4/2013 से 3/2016 स्व स्तोट एवं Grant in Aid (Other than MG NREGA & Integrated Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का

विवरण निम्न दिया गया है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1(क) तथा 1(ख) पर दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों को Own Sources की आय सहित बैंक खातों में इकट्ठा ही जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय- व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए हैं। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय- व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है।

Financial Position of Panchayat Shalota Block Narkanda Distt. Shimla

Year	Own Sources & GIA Recorded in General Cash Book					Closing Balance
	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	
2013-14	842951.00	555426.00	38507.00	1436884.00	566034.00	870850.00
2014-15	870850.00	422524.00	30131.00	1323505.00	726342.00	597163.00
2015-16	597163.00	1111634.00	26530.25	1735327.25	777070.00	958257.25

Note :- दिनांक 1.4.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances भी सम्मिलित किये गये हैं।

(ख) अनुदान (Grant in Aid):- ग्राम पंचायत शलौटा की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (MG NREGA & Integrated Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1(ग) में भी दिया गया है:-

Consolidated Financial Position of MG NREGA & Integrated Water Shed Project in R/o Panchayat Shalota Block Narkanda Distt. Shimla

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	131552.00	830074.00	9205.00	970831.00	835272.00	135559.00
2014-15	135559.00	1135375.00	2294.00	1273228.00	350726.00	922502.00
2015-16	922502.00	80824.00	8807.00	1012133.00	988029.00	24104.00

Note :- दिनांक 1.4.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances भी सम्मिलित किये गये हैं।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

ग्राम पंचायत शलौटा की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का समय-समय पर मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से समय-समय पर मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से समय-समय पर मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 मध्य हिमालय जलागम परियोजना के अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान वित्तीय लेनदेन का लेखांकन रोकड़ बही में न करना

अंकेक्षण में ग्राम पंचायत से संबन्धित विभिन्न लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान सचिव द्वारा मध्य हिमालय जलागम परियोजना के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस संदर्भ में सचिव ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण को सूचित किया कि इस परियोजना से संबन्धित एक मामला वर्ष 2010 से माननीय न्यायालय में लम्बित है, इसलिए उनके द्वारा वर्ष 2010 से इस परियोजना से संबन्धित वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है तथा परिशिष्ट-2 के अनुसार इस परियोजना के बैंक खाते में दिनांक 31/3/2016 को ₹211768 शेष थी परंतु रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने के कारण इन वित्तीय लेनदेनों की अंकेक्षण में जाँच नहीं की जा सकी। अतः अवधि 4/2013 से 31.03.2016 के दौरान परियोजना धनराशि से किए गए वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित न किया जाना अपने आप में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है, क्योंकि रोकड़ बही में वित्तीय लेनदेनों को लेखांकित न किए जाने से वित्तीय अनियमितताओं/दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये परियोजना से संबन्धित वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आय से संबन्धित अनियमितताएँ

(क) रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय की ₹8.05 लाख के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न करना
हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीदें जारी की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट - 3 में दिये गए विवरण के अनुसार अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान ₹804856

की प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा रसीदें जारी नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, प्राप्त आय के बदले में रसीदें जारी की जानी सुनिश्चित की जाए। (ख) रोकड़ बही में लेखांकित आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना

अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में ₹1245 की आय लेखांकित की गई थी, परंतु आय के बदले जारी की गई रसीदों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण इन रसीदों द्वारा प्राप्त राशि की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः आय के सम्बन्ध में जारी रसीदों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date	Cash Book Page No.	Amount of Income	Receipt No. issued but not Put to Audit	Remarks
Not mentioned in Cash Book	56	650.00	432901,902,905,910,911,912,913	रोकड़ बही में प्रमाण पत्र फीस के रूप में लेखांकित की गई थी।
	56	595.00	432903,904,906,908,909	रोकड़ बही में गृह कर के रूप में लेखांकित की गई थी।
Total		1245.00		

8 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -4 में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹0.97 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -5 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व की ₹0.97 लाख की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान की ₹9.82 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को कुल ₹982361.25 उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि में से ₹24104.00 MG NREGA और Integrated Water Shed Project से संबन्धित थी जबकि शेष ₹958257.25 स्वः स्रोतों और अन्य अनुदानों से संबन्धित थी। अतः दिनांक 31.03.2016 के अन्य अनुदानों और स्वः स्रोतों के संकलित अन्तिम शेष में से अन्य अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया गया सुनिश्चित किया जाए और अन्य अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹1.60 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-6 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹159500 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.63 लाख का भुगतान करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹163200 का भुगतान जिनका विवरण परिशिष्ट-7 में दिया गया है, को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 14 क्रय किए गए ₹2.71 लाख के स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना
हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72
(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के
अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की
गई सामग्री की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016
के दौरान क्रय की गई ₹271120 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण परिशिष्ट-8 में दिया गया है , को
क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा
इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।
- 15 ग्राम पंचायत द्वारा किए गए ₹5.81 लाख के भुगतानों के सन्दर्भ में वाउचर/ अभिलेख इत्यादि
उपलब्ध न करवाना
अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए विभिन्न भुगतान, जिनका विवरण परिशिष्ट-9 में दिया
गया है , अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इस सम्बन्ध में
नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया
जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।
- 16 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना
हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से
31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था।
अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया
गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-
रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड अबस्ट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)

10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविध अनियमितताएँ

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्वः स्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों से संबन्धित आय को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फंड - A और पंचायत फंड - B होंगे। पंचायत फंड - A में ग्राम पंचायत के स्वः स्रोत आय जमा होगी जबकि पंचायत फंड - B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय- व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्वः स्रोत आय और विभिन्न अनुदानों को 8 विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फंड - A और पंचायत फंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अतः पंचायत फंड - A और पंचायत फंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book

इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MG NREGA) का लेखांकन किया गया था।

Cash Book for MG NREGA

इस रोकड़ बही में MG NREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

Cash Book for Integrated Water Shed Grant

इस रोकड़ बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत शलौटा द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) में वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का निर्माण

नहीं किया गया था, जैसे कि वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था।

अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय- व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म-7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय- व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय- व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय- व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत शलौटा द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ङ) अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त

लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत शलौटा द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में सभी रसीदों को जारी किए जाने से पूर्व स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किए जाए।

19 लघु आपति विवरणिका:- लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

20 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 17/2016-खण्ड-1, 5548-5552दिनांक:21.10.2016
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत शलौटा, विकास खण्ड **नारकंडा**, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड **नारकंडा**, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0
 - 5 वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला-171003

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.